न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रकरण संख्या 08/16 तारीख रजू 31/08/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। —सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री रामकेश उर्फ केड्डा पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी गम्भीरा थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर । ——गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक— 6.7.18

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री रामकेश उर्फ केड्डा पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी गम्भीरा थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व थानाधिकारी थाना मानटाउन स0मा0 में जिला सवाईमाधोपुर मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क्र. स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	फैसला
1	126/09	09/04/09	13 आरपीजीओ	75	15/04/09	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
2	158/12	23/03/12	13 आरपीजीआ	81	30/03/12	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
3	62/13	20/02/13	13 आरपीजीआ	07	28/02/13	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
4	126/13	25/04/13	13 आरपीजीओ	35	30/04/13	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
5	16/16	08/01/16	13 आरपीजीआ	08	12/01/16	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित
6	135/16	12/05/16	13 आरपीजीआ	70	16/05/16	100 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित2

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणो मे दोषी मानते हुए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल आदतन जुआ सट्टे खेलने का आदि है, तथा रूपयों पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

वर्ग को खोखला कर दिया है उक्त गैरसायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुआ खेलते हुए गिरफतार करने एवं उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बाबजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिसमें एक और जहां वह स्वयं को ईलाका श्रीमान का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है वही अपने लाभ के लिए युवा पीढ़ी को इस अपराध में धकेल रहा है। जिसके कारण आम नागरिक उसके विरूद्ध ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को अथवा पुलिस को दे पा रहे है। अतः उक्त शक्स को आदतन अपराधी मानते हुए राजस्थान गुण्डा एक्ट के तहत गुण्डा धोषित कराया जाकर धारा 3(3) के तहत निष्कासन की विधिक कार्यवाही कराया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम ,1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रति,न्यायालय निर्णय प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिषक व असालतन उपस्थित आया। गैरसायल श्री रामकेश उर्फ केड्डा पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी गम्भीरा थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर द्वारा आरोप पत्र मे लगाये आरोपो का खण्डन करते हुए जवाब पेश किया। तत्पश्चात् उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस मे तर्क दिया गैरसायल आदतन जुआ सट्टे खेलने का आदि है, तथा रूपयों पैसों का दाव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसके कारण समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है उक्त गैरसायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुआ खेलते हुए गिरफतार करने एवं उसके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय में करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदण्ड से दण्डित करने के बाबजूद भी वह अपनी हरकतों व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है बल्कि बिना किसी कानून के भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से करता चला आ रहा है जिसमें एक और जहां वह स्वयं को ईलाका श्रीमान का सट्टा किंग घोषित कर आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है । गैरसायल को इसके निवास स्थान जिला सवाई माधोपुर में रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षैत्र के लिए घातक है तथा इस अवैध सट्टे बाजी के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

रहने देने से लोक व्यवस्था व लोक क्षैत्र के लिए घातक है तथा इस अवैध सट्टे बाजी के कारोबार में अपने स्थानीय नेटवर्को व सर्म्पकों से दिन रात लगा रहता है तथा गैरसायल को स्थानीय निवास की अधिकारीता से बाहर किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा गैरसायल को पुलिस द्वारा छः बार 13 आरपीजीओ अधिनियम के अर्न्तगत कृत्य कारित करते हुए पकडे जाने पर बाद अनुसंधान आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान पेश किया गया तथा समस्त प्रकरणों मे माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अतः गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए जिले से निष्काषित किया जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधि में नहीं आता है। गैरसायल शान्तिप्रिय एवं बाल बच्चेदार परिवार का व्यक्ति है। गैरसायल पर पुलिस द्वारा सट्टे के झूठे मुकदमें बनाये गये है तथा उक्त प्रकरण में एक भी गवाह के बयान नहीं हुए है। बिना सबूत का प्रकरण अतः कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के संबंध में प्रस्तुत अभियोग पत्र की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभंति अवलोकन करने के पश्चात हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्व है कि गैरसायल के खिलाफ थाना कोतवाली सवाई माधोपुर मे छः प्रकरण 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत पंजीवद्व हुए है तथा बाद अनुसंधान इन आपराधिक प्रकरणो मे आपराधिक अधिकारिता न्यायालय मे चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा गेर सायल को 13 आरपीजीओं के समस्त प्रकरणों अपराध करने का दोषी पाया जाकर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया है। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के 13 आरपीजीओं अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम तीन बार दोष सिद्व व्यक्ति को "गुण्डा" की श्रेणी मे माना गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेख माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा गैर सायल धारा 13 आरपीजीओ अधिनियम के अन्तर्गत छः बार दोष सिद्व होने की पुष्टि होती है तथा इन अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर गेर सायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3)मे वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि–

1–गेर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) मे वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवम् गैर सायल को उक्त तालिका मे अंकित छः अपराधो मे

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के निर्णय द्वारा छः बार दोष सिद्व करार दिया जा चुका है। अतः गैर सायल "गुण्डा" की श्रेणी मे आता है।

2–गैर सायल की गतिविधियां एंव प्रवृतिया अनैतिक एवम् दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र सवाई माधोपुर जिला सवाईमाधोपुर के लिए घातक एवम् खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।

3– गैर सायल के विरूद्व यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैर सायल जिले मे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 2(ख)(3) मे वर्णित आपराधिक कृत्य कारित करने मे संलिप्त है।

4– गैर सायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

लिहाजा–

मैं महेन्द्र लोढ़ा ,अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर गैर सायल श्री रामकेश उर्फ केड्डा पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी गम्भीरा थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत "गुण्डा" घोषित करता हूं तथा गैरसायल को एक माह (30 दिवस) की समयावधि के लिए जिला सवाई माधोपुर व थाना सवाई माधोपुर परिक्षैत्र से निष्कासित करने का आदेश देता हूं। एस. एच.ओ. थाना कोतवाली सवाई माधोपुर को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की तिथि से 15 दिवस पश्चात गेर सायल को एक माह (30 दिवस) की समयावधि के लिए जिला बूंदी के थाना इन्द्रगढ़ पर रहने हेतु थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ जिला बूंदी को सुपुर्द करे। गैर सायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जाय। गैर सायल वहां रहने की जानकारी के लिए थाने मे उपस्थिति देगा एवम् एक माह समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर/थानाधिकारी थाना कोतवाली सवाई माधोपुर एवं थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ जिला बूंदी को भेजे व एक प्रति गैर सायल को दी जाय।

निर्णय आज दिनांक 6.7.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर